संख्या-48/2021-1550/58-2021-70/2017

प्रेषक

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 13 सितम्बर, 2021**

विषयः **अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना में शीतगृह रहित आलू उत्पादक विकास खण्डों में शीतगृहों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु अनुमन्य अनुदान के साथ 15 प्रतिशत अतिरिक्त राज्य सहायता (टाप-अप) धनराशि रु0-58.90 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-574/को0स्टो0/2021-22, दिनांक 17.08.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए शीतगृह रहित आलू उत्पादक विकास खण्ड-हरपालपुर, जनपद हरदोई में मै0 हरपालपुर आईस एण्डी कोल्ड स्टोरेज, ग्राम ककरा हेतु स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष अतिरिक्त राज्यांश टॉप-अप के रुप में अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि रु0-58.90 लाख (रूपये-अट्ठावन लाख नब्बे हजार) वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-10 के अधीन लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) के अन्तर्गत 27-सब्सिडी मद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय तथा प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375 /दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 एवं शासनादेश सं0-19/2017 /2140/58-2017-70/2017, दिनांक 03.07.2017 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(6) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक, उद्यान इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(7) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(9) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, उद्यान/मिशन, उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं जिला उद्यान अधिकारी, हरदोई सीधे उत्तरदायी होंगे।

(11) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(12) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किए जाने के निर्देश दिए गए है, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

(13) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक ''2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन-27-सब्सिडी'' के अन्तर्गत उपर्युक्त उल्लिखित मानक मद के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

<u>संख्या-48/2021-1550(1)/58-2021-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश।
6- उप निदेशक, उद्यान, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश।
7- जिला उद्यान अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in